

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या वर्ष 2024
(एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8663-8665/2023 से उत्पन्न)

अरुणाचल प्रदेश राज्य

...अपीलकर्ता(गण)

बनाम

कमल अग्रवाल
और अन्य आदि

...प्रतिवादी(गण)

सह

आपराधिक अपील संख्या वर्ष 2024
(एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7301/2022 से उत्पन्न)

चन्द्र मोहन बड़ाया

...अपीलकर्ता(गण)

बनाम

अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी(गण)

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 – धारा 482 – FIR को रद्द करना – निर्णय – सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि FIR के मूल में विवाद सिविल प्रकृति का था ना कि आपराधिक, जैसा कि फैसले में विस्तृत रूप से बताया गया है । सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद – 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और FIR से उत्पन्न पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया । न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपीलों को भी खारिज कर दिया ।

निर्णय

विक्रम नाथ, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

2. उपरोक्त दोनों अपीलें पुलिस स्टेशन पासि घाट, जिला सियांग ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय दंड संहिता, 18602 की धारा 420/120 बी/34 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर केस नंबर 227/2017 के रूप में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुई हैं, जो मेसर्स शिव भंडार के मालिक श्री ओकेप तायेंग के वकील श्री अनिल अग्रवाल द्वारा दर्ज की गई थी। यह एफआईआर कई नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसका विवरण बाद में दिया जाएगा और जांच के दौरान अतिरिक्त नाम सामने आए।
3. तीन आरोपियों चंद्र मोहन बदया और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 शशि नटानी और राजेश नटानी ने एफआईआर को रद्द करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका संख्या 91/2021 के रूप में पंजीकृत याचिका दायर की। उक्त याचिका को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24.06.2022 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर चंद्र मोहन बदया द्वारा एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7301/2022 दायर की गई है। पांच अन्य सह-आरोपियों ने भी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसमें उसी एफआईआर संख्या 227/2017 को रद्द करने का अनुरोध किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर तीन याचिकाओं का विवरण इस प्रकार है:

आरोपी	रिट याचिका सं.
1. कमल अग्रवाल 2. हेमानी अग्रवाल	रिट याचिका संख्या 987/2022 एस.एल.पी.(सीआरएल.) संख्या 8663-8665/2023 का पृष्ठ संख्या 227
3. मनीष कुमार ताम्बी 4. अल्पना ताम्बी	रिट याचिका संख्या 988/2022 एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 8663-8665/2023 का पृष्ठ संख्या 246
5. पवन अग्रवाल	रिट याचिका संख्या 989/2022 एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 8663-8665/2023 का पृष्ठ संख्या 265

4. इन तीनों याचिकाओं को राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.05.2023 के निर्णय के तहत अनुमति दी थी। इससे व्यथित होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 2023 की तीन विशेष अनुमति याचिका संख्या 8663-8665 दायर की है। दिलचस्प बात यह है कि शिकायतकर्ता कार्यवाही को रद्द करने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। चूंकि दोनों मामले एक ही एफआईआर से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें एक साथ लिया गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।
5. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

5.1. संबंधित प्रोपराइटरशिप मेसर्स शिव भंडार ने वर्ष 2016 में 1 करोड़ रुपए की राशि चंद्र मोहन बड़ाया, उनकी दो संबंधित प्रोपराइटरशिप और राजेश नाटाणी के खाते में 25-25 लाख रुपए के चार बराबर लेन-देन में हस्तांतरित की। अपीलकर्ता चंद्र मोहन बड़ाया के अनुसार, राशि ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई थी, हालांकि, शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त भुगतान प्लॉट संख्या ए-47 से ए-55, सीकर हाउस, चांदपोल के पास, जयपुर, राजस्थान के बीच स्थित भूमि/भवन की खरीद के लिए किए गए थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त राशि के हस्तांतरण के उद्देश्य के संबंध में कोई लिखित समझौता नहीं है, चाहे वह ऋण हो या ऊपर उल्लिखित भूमि/भवन की खरीद के लिए अग्रिम राशि।

5.2. चन्द्र मोहन बड़ाया के अनुसार, उन्हें और उनकी दो कम्पनियों को प्राप्त 75 लाख रुपए में से उन्होंने 37 लाख रुपए बैंक हस्तांतरण के माध्यम से अपने व्यक्तिगत और स्वामित्व खातों से परिवादी को वापस कर दिए। यह राशि 2016-2017 में वापस कर दी गई। इसके अलावा, चन्द्र मोहन बड़ाया के अनुसार, उन्होंने पत्नी (श्रीमती शालिनी अग्रवाल) और साली (श्रीमती जया अग्रवाल) श्री अनिल अग्रवाल, परिवादी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के पक्ष में जयपुर के चाकसू में स्थित दो सम्पत्तियों के संबंध में दो बिक्री विलेख निष्पादित किए। यद्यपि दोनों बिक्री विलेखों के लिए कुल बिक्री प्रतिफल 1.08 करोड़ रुपए था, जिसमें से प्रत्येक के लिए 27 लाख रुपए की राशि यानी कुल 54 लाख रुपए ही याचिकाकर्ता को प्राप्त हुए। ये बिक्री विलेख 10.10.2016 दिनांकित हैं। इन सभी लेन-देन के काफी बाद 23.11.2017 को निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई:

- i) श्री चंद्रमोहन बड़ाया
- ii) श्री राजेश नाटाणी
- iii) श्रीमती शशि नटानी
- iv) श्री किशन बड़ाया
- v) श्रीमती टीना बड़ाया
- vi) श्रीमती सुशीला देवी बड़ाया

5.3. जांच के दौरान एफआईआर में दर्ज कुछ नाम हटा दिए गए और कुछ नाम जोड़े गए। अंत में आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया:

- i) श्री चंद्र मोहन बड़ाया
- ii) श्रीमती टीना बड़ाया
- iii) श्री राजेश नाटानी
- iv) श्री पवन अग्रवाल
- v) श्री कमल अग्रवाल
- vi) श्रीमती हेमानी अग्रवाल
- vii) श्री मनीष कुमार तांबी
- viii) सुश्री अल्पना तांबी

- 5.4. उक्त आरोपपत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीनियर डिवीजन, पासीघाट, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा संज्ञान लिया गया और जीआर संख्या 225/2017 के तहत मामला दर्ज किया गया।
- 5.5. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं के दो सेट दायर किए गए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती मुख्य रूप से दो आधारों पर थी, पहला, कि अरुणाचल प्रदेश में अपराध का कोई भी हिस्सा नहीं किया गया था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव था। पुलिस को इस मामले की जांच इस कारण से नहीं करनी चाहिए थी कि सभी आरोपी राजस्थान के निवासी थे, संपत्ति राजस्थान में स्थित थी, संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख द्वारा हस्तांतरण भी राजस्थान में था, यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक और शिकायतकर्ता भी राजस्थान के निवासी थे और इसलिए, केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 5.6. दूसरा आधार यह लिया गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के पास एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का अधिकार होगा, यह विशुद्ध रूप से धन के लेन-देन और संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित एक सिविल विवाद था और विशुद्ध रूप से एक सिविल/वाणिज्यिक विवाद होने के नाते, एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और इसे हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर रद्द किया जाना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके कारण चंद्र मोहन बड़ाया द्वारा दायर अपील को जन्म दिया गया, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील को जन्म दिया गया।
6. पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पहले, हम संक्षेप में एफआईआर संख्या 227/2017 की शिकायत की सामग्री का उल्लेख कर सकते हैं। शिकायत के अनुसार, राजेश नाटाणी और चंद्र मोहन बड़ाया ने शिकायतकर्ता फर्म से संपर्क किया और प्लॉट संख्या ए-47 से ए 55, सीकर हाउस, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान के बीच स्थित भूमि/भवन के बदले में 1 करोड़ रुपये की राशि का अनुरोध किया। उक्त राशि 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016 और 25.07.2016 को श्री राम एंटरप्राइजेज, ए.आर. प्रॉपर्टीज एंड कॉलोनाइजर्स, शशि नाटाणी पत्नी राजेश नाटाणी और चंद्र मोहन बड़ाया के खातों में उपरोक्त भूमि/भवन की बिक्री के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में चार किस्तों में जमा की गई थी। इसके बाद जब शिकायतकर्ता भूमि/भवन के स्थान पर गया तो आरोपीगणों ने उसे सौंपने से इंकार कर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोपीगणों ने धोखाधड़ी की है, जिसके परिणामस्वरूप उसे कष्ट, मानसिक पीड़ा और आर्थिक हानि हुई है। आरोपीगण भूमि हस्तांतरित करने की उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। सभी आरोपियों ने आवेदक के साथ धोखाधड़ी/कपट करने की साजिश रची है। सभी आरोपियों ने अवैध तरीकों से बड़ी राशि अर्जित की है और अपने वादों को पूरा करने के बजाय उन्होंने शिकायतकर्ता को परिणाम भुगतने की धमकी दी। कोई अन्य विकल्प न मिलने पर आरोपीगणों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।
7. एफआईआर में शिकायतकर्ता श्री अनिल अग्रवाल का पता पासीघाट, ईस्ट सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में फर्म मेसर्स शिव भंडार का पता बताया गया है। एफआईआर में शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल का

आवासीय पता नहीं दिया गया है। एफआईआर में नामित सभी छह आरोपियों का पता जयपुर शहर, राजस्थान का है। जिस संपत्ति के लिए कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, वह भी जयपुर, राजस्थान में स्थित है। एफआईआर में बैंक विवरण के लेन-देन का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. इस तथ्य के अलावा कि शिकायतकर्ता अरुणाचल प्रदेश में रहता है, कथित अपराध से संबंधित कोई अन्य तथ्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में या उसके भीतर नहीं बताया गया है, फिर भी एफआईआर वहां दर्ज की गई थी। स्पष्ट रूप से, एफआईआर दर्ज करने का कारण यह था कि आरोपी व्यक्ति बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये का बिक्री प्रतिफल लिया था।

9. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने की याचिका को यह पाते हुए खारिज कर दिया कि कार्यवाही रद्द करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। जबकि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि कार्रवाई का पूरा कारण राजस्थान राज्य में था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पुलिस/न्यायालय के पास एफआईआर और उसके बाद की सभी कार्यवाहियों को सुनने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।

10. आश्चर्यजनक रूप से, शिकायतकर्ता मेसर्स शिव भंडार राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आए हैं। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य है जिसने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

11. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और दोनों मामलों में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

12. हमारा मानना है कि मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का था। यह धन उधार देने का मामला था, जिसके उद्देश्य या महत्व को दर्शाने के लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया था, चाहे वह ऋण अग्रिम हो या जयपुर में स्थित भूमि/भवन के लिए संपत्ति हस्तांतरण के लिए अग्रिम भुगतान, किसी भी रिकॉर्ड से पुष्टि नहीं होती है। शिकायतकर्ता का यह दावा कि यह ऊपर बताई गई भूमि/भवन के लिए संपत्ति हस्तांतरण के लिए था, पुलिस द्वारा जांच करने और पता लगाने के बजाय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का विषय होगा। यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है जैसा कि एफआईआर में कहा गया है कि उनके द्वारा आरोपित भूखंड/भूमि जिसे उन्हें हस्तांतरित किया जाना था, वह अस्तित्व में नहीं थी या किसी और को बेची या हस्तांतरित की गई थी और इसलिए, अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी का एक तत्व था। यदि आरोपी व्यक्ति भूमि हस्तांतरित नहीं कर रहे थे और यदि शिकायतकर्ता न्यायालय में इसके संबंध में कोई समझौता/अनुबंध स्थापित कर सकता था, तो उसे उचित राहत के लिए सिविल मुकदमा दायर करना चाहिए था। अपीलकर्ता चंद्र मोहन बड़ाया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसने बैंक लेनदेन के माध्यम से 37 लाख रुपये पहले ही चुका दिए हैं और एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो संपत्तियां भी हस्तांतरित कर दी हैं। इन सभी पहलुओं पर सक्षम सिविल न्यायालय में विचार किया जा सकता है। इसे धोखाधड़ी का मामला नहीं कहा जा सकता।

13. एफआईआर को सरलता से पढ़ने पर ऐसा कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिखता जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जाए और उसका संधारण किया जाए। हालांकि चंद्र मोहन बड़ाया अपीलकर्ता ने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उसने शिकायतकर्ता को बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 37 लाख रुपये पहले ही लौटा दिए हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अनिल अग्रवाल की पत्नी और भाभी के पक्ष में दो हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए हैं, जिनकी कुल कीमत 1.45 करोड़ रुपये से अधिक है। भले ही हम इस तर्क को स्वीकार न करें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय

होगा, लेकिन हम पाते हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दर्ज की गई शिकायत, शिकायत के रूप में दर्ज किए जाने योग्य नहीं थी और वह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में।

14. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सही पाया कि यदि कोई अपराध हुआ है, हालांकि हमारे अनुसार कोई अपराध नहीं बनता है, तो वह राजस्थान के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है, न कि अरुणाचल प्रदेश के।

15. अरुणाचल प्रदेश राज्य को अरुणाचल प्रदेश में दर्ज और सुनवाई किए जा रहे एक अनावश्यक आपराधिक मामले से छुटकारा पाकर खुश होना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया है, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उक्त राज्य को देना होगा, जब सिविल/वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामले में शिकायतकर्ता अपनी एफआईआर का बचाव करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आम तौर पर, किसी दिए गए मामले में जहां मुद्दा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का होता है, हम जांच या मुकदमे को उस राज्य को स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकते थे जहां कार्रवाई का कारण निहित होता, लेकिन वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है।

16. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एसएलपी संख्या 8663-8665/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रतिवादियों में से एक पवन अग्रवाल ने पहले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक याचिका संख्या 110/2021 दायर की थी और उक्त याचिका को दिनांक 26.11.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उनके द्वारा दायर एसएलपी (सीआरएल) संख्या 999/2022 को इस न्यायालय के समक्ष दबाव न डाले जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। हालांकि, आज हम पुलिस स्टेशन पासी घाट, जिला सियांग पूर्व, अरुणाचल प्रदेश में पंजीकृत संपूर्ण एफआईआर मामला संख्या 227/2017 और उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही को रद्द कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पवन अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में शुरू की गई कार्यवाही को देखते हुए पवन अग्रवाल और अन्य प्रतिवादियों को इस आधार पर राहत दी है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 110/2021 को खारिज करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था और हमने उस पर विचार किया है। हमने पाया है कि यह विवाद सिविल प्रकृति का है और हमने एफआईआर केस संख्या 227/2017 को रद्द कर दिया है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हम राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 989/2022 में पवन अग्रवाल के पक्ष में दिए गए निष्कर्षों को बदलने के इच्छुक नहीं हैं। एक बार जब एफआईआर और आरोपपत्र में नामित अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जाती है और हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की प्रकृति पर विचार किया जाता है, तो अकेले पवन अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।

17. हम तदनुसार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और चंद्र मोहन बड़ाया की अपील को स्वीकार करते हैं और एफआईआर संख्या 227/2017 से उत्पन्न पूरी कार्यवाही को रद्द करते हैं। हम अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर तीन अपीलों को भी खारिज करते हैं।

... ..जे.

(विक्रम नाथ)

.....जे.

(के.वी. विश्वनाथन)

नई दिल्ली
18 अप्रैल 2024